

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर कपासन

मुकदमा राजीव गांधी सेवा केन्द्र उमण्ड

प्रेमा

बनाम

रेखा

किरस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 128 एल0आर0एक्ट0

नं0 41

रान् 2023

तारीख
हुम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

16.06.2023


वकील प्रार्थीगण ने आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र उमण्ड में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर वहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर वहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है, प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा विरोली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 117 के हाल आराजी संख्या 200, 203, 205, 980/217, 981/202, 982/204, 983/199 कुल किता 7 कुल रकबा 0.50 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 119 की आराजी संख्या 358, 359, 361, 362, 363, 364, 370, 452, 453, 956/445 कुल किता 10 कुल रकबा 2.91 हैक्ट0 कृषि भूमि के प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा विरोली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 117 के हाल आराजी संख्या 200, 203, 205, 980/217, 981/202, 982/204, 983/199 कुल किता 7 कुल रकबा 0.50 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 119 की आराजी संख्या 358, 359, 361, 362, 363, 364, 370, 452, 453, 956/445 कुल किता 10 कुल रकबा 2.91 हैक्ट0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिपोर्ट विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फॉर्स प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Copy - Not Official



(अर्चना बुगालिया)

सहायक कलेक्टर एवं
अधिकारी, कपासन